अध्याय 27

लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विरुद्ध नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराओं पर लेखा परीक्षा द्वारा की गई आपत्तियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2018–19)

क्र. सं.	रिपोर्ट सं. (रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख)	पैरा सं.	पैराओं का संक्षिप्त विषय	की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी (एटीएन) की स्थिति
1.	**2015 का 18 (08.05.2015)**	7.1 (अध्याय-VII)	**केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना – केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत परिवहन भत्ते का अधिक भुगतान–** सुपर टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एसएजी) वेतनमान में सीजीएचएस के डॉक्टरों को गलत तरीके से केंद्र सरकार के विभागों के संयुक्त सचिवों के स्तर के अधिकारियों के समान ₹7000 प्रति माह की दर से परिवहन भत्ते का भुगतान किया जा रहा था। हालांकि, वे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में केवल ₹3200 प्रति माह के परिवहन भत्ते के हकदार थे। सीजीएचएस द्वारा नियमों के गलत प्रयोग के कारण नवंबर, 2008 और मार्च, 2014 के बीच डॉक्टरों को ₹5.74 करोड़ के परिवहन भत्ते का अधिक भुगतान कर दिया गया।	समाप्ति हेतु लेखा परीक्षा द्वारा अंततः एटीएन को मंजूरी दी गई। मामला हालांकि न्यायाधीन है।
2.	**2017 का 12 (21.07.2017)**	11.2 (अध्याय-XI)	**राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) – जेएलएन गोलियाँ की खरीद पर अतिरिक्त व्यय–** जेएलएन गोलियों की खरीद में वित्तीय नियमों का पालन करने में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) की विफलता के कारण ₹2.06 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।	अंतिम एटीएन को मॉनिटरिंग सेल (एमसी)/ऑडिट के पास भेज दिया गया और पैरा बंद कर दिया गया।
3.	**2017 का 12 (21.07.2017)**	11.3 (अध्याय-XI)	**केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) – नियमों के उल्लंघन में वाणिज्यिक उपक्रम के लिए किराया मुक्त आवास** – हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एचएलएल) आरके पुरम नई दिल्ली में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के स्वामित्व वाले	पैरा बंद करने के लिए अंतिम संशोधित एटीएन को 22.03.2019 को ऑडिट / मॉनिटरिंग सेल के पास भेज दिया गया है।

			भवन में सरकारी और निजी रोगियों को नैदानिक सेवाएं प्रदान करता है। सीजीएचएस लाभार्थियों को 10 प्रतिशत की अपर्याप्त छूट के अलावा, एचएलएल मौजूदा आदेशों के अनुसार किराए का भुगतान नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप 2008–09 से दिसंबर 2016 के दौरान ₹1.72 करोड़ का नुकसान हुआ।	
4.	**2017 का 25 (21.07.2017)**	समग्र रिपोर्ट	एनआरएचएम के तहत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य की निष्पादन लेखा परीक्षा।	समाप्ति हेतु लेखा परीक्षा द्वारा अंततः एटीएन को मंजूरी दी गई। अंतिम एटीएन को प्रस्तुत करना प्रक्रिया में है।
5.	**2017 का 37 (19.12.2017)**	समग्र रिपोर्ट	समग्र रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन का निष्पादन लेखा परीक्षा।	अंतिम एटीएन को मॉनिटरिंग सेल (एमसी) / ऑडिट के पास प्रस्तुत किया गया और पैरा बंद कर दिया गया है।
6.	**2018 का 4 (04.04.2018)**	**9.1 (अध्याय-IX)**	**इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस), मुंबई – संविदा देने में अनियमितताएं** – मानव संसाधन सेवा की खरीद के लिए निविदा मूल्यांकन समिति ने सरकार की खरीद नीति के उल्लंघन में दो बोलीदाताओं को अनियमित रूप से अयोग्य ठहराया, जिससे खरीद प्रक्रिया खराब हुई और नीतिगत उद्देश्य निष्फल हो गया। एक अन्य मामले में, बोली दस्तावेज में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों से विचलन के कारण कार्य दूसरी रैंक वाली एजेंसी को दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।	एटीएन को विधीक्षा के लिए ऑडिट के पास भेजा गया है और पैरा को बंद करने के लिए कार्रवाई जारी है।
7.	**2018 का 4 (04.04.2018)**	**9.3 (अध्याय-IX)**	**स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़– पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में उपकरणों की खरीद और रखरखाव** – इंस्टीट्यूट में प्रापण मैनुअल के रूप में एक स्थापित प्रक्रिया का अभाव था, जो आवश्यकताओं के समग्र और व्यवस्थित मूल्यांकन के आधार पर प्रभावी खरीद प्रबंधन और उपकरणों के समय पर अधिग्रहण को सुनिश्चित कर सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रापण तदर्थ आधार पर किए गए, वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता हुई और खरीद मामलों को आगे बढ़ाने में देरी हुई। जहां आपूर्तिकर्ता ने अपने संविदागत दायित्वों को पूरा नहीं किया, वहां संस्थान अपने लिए उपलब्ध संविदात्मक उपायों का प्रभावी रूप से उपयोग करने में भी विफल रहा, जिससे	अंतिम एटीएन को मॉनिटरिंग सेल (एमसी) / ऑडिट के पास प्रस्तुत किया गया और पैरा बंद कर दिया गया है।

			लाख उपकरणों की आपूर्ति या स्थापना में देरी और डाउनटाइम की गलत गणना के लिए ₹72.77 लाख की जुर्माना राशि की वसूली में देरी हुई और अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में अतिरिक्त डाउनटाइम के लिए लगभग ₹1.46 करोड़ के जुर्माने की वसूली नहीं हुई। इससे दंडात्मक प्रावधानों के निवारक प्रभाव के कम होने के साथ–साथ आपूर्तिकर्ताओं को अपनी संविदा का उचित निष्पादन करने के लिए बाध्य करने की संस्थान की क्षमता भी कम हुई है।	
8.	**2018 का 4 (04.04.2018)**	**9.4 (अध्याय-IX)**	**जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुच्चेरी** – फर्म द्वारा प्राप्त सीमा शुल्क छूट की वापसी का दावा करने में विफलता – जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुच्चेरी आयातित उपकरणों पर एक फर्म द्वारा प्राप्त सीमा शुल्क छूट की वापसी का दावा करने में विफल रहा जिसके कारण ₹1.08 करोड़ का नुकसान हुआ।	अंतिम एटीएन को मॉनिटरिंग सेल (एमसी) / ऑडिट के पास प्रस्तुत किया गया और पैरा बंद कर दिया गया है।
9.	**2018 का 4 (04.04.2018)**	**9.5 (अध्याय-IX)**	**सफदरजंग अस्पताल– गलत वेतन निर्धारण जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान हुआ** – सफदरजंग अस्पताल की यह सुनिश्चित करने में विफलता कि केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 7 बी के संदर्भ में वेतन निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाले गैर–प्रैक्टिसिंग भत्ते (एनपीए) की मात्रा इस शर्त के आधार पर दिए गए एनपीए से अधिक नहीं थी कि मूल वेतन जमा एनपीए ₹85,000 से अधिक न हो, जिसके परिणामस्वरूप नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के रूप में ₹70.85 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।	अंतिम एटीएन को मॉनिटरिंग सेल (एमसी) / ऑडिट के पास प्रस्तुत किया गया और पैरा बंद कर दिया गया है।
10.	**2018 का 10 (07.08.2018)**	**समग्र रिपोर्ट**	**प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)** पर निष्पादन लेखा परीक्षा।	पीएसी द्वारा जांच के लिए पूरी रिपोर्ट का चयन किया गया था और तदनुसार पीएसी (16 वीं लोकसभा) की रिपोर्ट संख्या 134 को 21.12.2018 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। एटीआर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।